न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मोनिका जाखड़ R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/325

प्रकरण संख्या 174/22

अनवान

1. श्री उदा पुत्र मेघा गोद पुत्र नान जी रावत निवासी पोमावतों की भागल बोरतलाई तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार सा0 कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

—: : निर्णय : :— दिनांक :— 23.06.2023

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया की राजस्व ग्राम बोरतलाई पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड जिला उदयपुर की खाता संख्या नया 7, 8, 9, 10, 59 में प्रार्थी का नाम उदा पुत्र मेघा जाति रावत सा. पोमावतों की भागल अंकित है। यह कि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम उदयलाल पिता नान जी अंकित है। यह कि प्रार्थी अपने काका नान जी रावत के कोई जायन्दा सन्तान नहीं होने की वजह से प्रार्थी गोद गया है। अतः प्रार्थी द्वारा खाता संख्या नया 7, 8, 9, 10, 59 में अपना नाम उदा पिता मेघा के बजाय उदयलाल मुतबन्ना नान जी रावत अंकित किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो इस प्रकार है कि :—

I. यह कि राजस्व ग्राम बोरतलाई की गत जमाबंदी संवत् 2069–71 की खाता संख्या 122 से 125 पर मेघा, रामा, नानजी, जेती, लाली पिता नारायण रावत निवासी पेमावतों की भागल म. देह के नाम सामलाती खातो में हिस्से से कृषि भूमि दर्ज थी। यह कि उक्त खातों में मेगा की विरासत जरिये नामान्तरण 414 से मेगा के बजाय उदा, लालु, डाली, राधी, काली पिता मेगा रूपली बेवा मेगा के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुआ एवं जेती, लाली पिता नारायण का हिस्सा [illegible] से जरिये नामान्तरण संख्या 420 से उदा पिता मेघा मुतबन्ना नानजी रावत के नाम दर्ज हुआ।

II. यह कि भू–प्रबंधन एवं सेग्रीगेशन के बाद वर्तमान जमाबंदी सवंत् 2078–81 की खाता संख्या 7, 8, 9, 10, 59 पर उदा पिता मेघा एवं उदा पिता मेघा मुतबन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.07.05 12:52:17 IST
Reason: SelfAttested

नानजी दोनो नाम एक ही व्यक्ति के होने से दोनो के हिस्से शामिल करते हुए उक्त खातों में एक ही नाम उदा पिता मेघा रावत से दर्ज कर दिया गया। यह कि उदा पिता मेघा के वास्तविक पिता का नाम मेघा है एवं नानजी के वारिसान से हकत्याग से प्राप्त कृषि भूमि मे रजिस्टर्ड हकत्याग दस्तावेज में हकत्याग गृहिता का नाम उदा पिता मेघा मुतबन्ना नानजी लिखा होने से राजस्व रिकार्ड में उदा पिता मेघा मुतबन्ना नानजी रावत दर्ज कर दिया गया।

III. यह कि सलग्न दस्तावेंजों आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम उदा पिता नारजी लिखा हुआ। नामान्तरण संख्या 420 द्वारा जेती, लाली पिता नारायण रावत का हिस्सा हकत्याग से उदा पिता मेघा मुतबन्ना नानजी रावत के नाम दर्ज हुआ। अतः तहसीलदार कानोड द्वारा प्रार्थी का नाम उदा पिता मेघा रावत के बजाय उदयलाल पिता मेघा मुतबन्ना नानजी रावत दर्ज करने की अनुशंषा की।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्राथी के कथनानुसार राजस्व ग्राम बोरतलाई पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड जिला उदयपुर की खाता संख्या नया 7, 8, 9, 10, 59 में प्रार्थी का नाम उदा पिता मेघा रावत अंकित है। नवीन सेटलमेंट के बाद त्रुटि से उक्त खाता संख्या में प्रार्थी का नाम उदा पिता मेघा रावत अंकित हो गया है जबकि प्रार्थी अपने काका के गोद जाने से नामान्तरण संख्या 420 हकत्याग से जमाबंदी संवत् 2069–72 में प्रार्थी का नाम उदा पिता मेघा मुतबन्ना नानजी रावत अंकित है जिससे प्रार्थी द्वारा उक्त त्रुटि को शुद्ध कराया जाकर जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या 7, 8, 9, 10, 59 में अपना नाम उदा पिता मेघा रावत के बजाय उदयलाल मुतबन्ना नानजी रावत अंकित कराये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से यह पाया कि जमाबंदी संवत् 2069–71 की खाता संख्या 122 से 125 पर मेघा रामा नानजी जेती लाली पिता नारायण रावत निवासी पेमावतों की भागल म. देह के नाम सामलाती खातो में हिस्से से कृषि भूमि दर्ज थी। यह कि उक्त खातों में मेगा की विरासत जरिये नामान्तरण 414 से मेगा के बजाय उदा लालु डाली राधी वाली पिता मेगा रूपली बेवा मेगा के नाम दर्ज रिकोर्ड हुआ एवं जेती लाली पिता नारायण का हिस्सा हकत्याग से जरिये नामान्तरण संख्या 420 से उदा पिता मेघा मुतबन्ना नानजी रावत के नाम दर्ज हुआ। भू प्रबंधन एवं सेग्रीगेशन के बाद वर्तमान जमाबंदी सवंत् 2078–81 की खाता संख्या 7, 8, 9, 10, 59 पर उदा पिता मेघा एवं उदा पिता मेघा मुतबन्ना नानजी दोनो नाम एक ही व्यक्ति के होने से दोनो के हिस्से शामिल करते हुए उक्त खातों में एक ही नाम उदा पिता मेघा रावत से दर्ज कर दिया गया। यह कि उदा पिता मेघा के वास्तविक पिता का नाम मेघा है एवं नानजी के वारिसान से हकत्याग से

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.07.05 12:52:17 IST
Reason: Self Attested

प्राप्त कृषि भूमि मे रजिस्टर्ड हकत्याग दस्तावेज में हकत्याग गृहिता का नाम उदा पिता मेघा मुतबन्ना नानजी लिखा है। अतः तहसीलदार कानोड द्वारा प्रार्थी का नाम उदा पिता मेघा रावत के बजाय उदयलाल पिता मेघा मुतबन्ना नानजी रावत दर्ज किये जाने की अनुशंपा की। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कार्यालय ग्राम पंचायत सारंगपुरा (भीण्डर) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित किया की उदयलाल व उदा नाम का एक ही व्यक्ति है तथा व्यक्तिगत रूप से जानना व पहचानना बताया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति पेश की।

4. अतः उपरोक्त विवेचन व तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट व अनुशंषा एवं प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेज के आधार पर यह पाया गया कि जमाबंदी संवत् 2069–72 में जरिये नामान्तरण संख्या 414 से मेघा के बजाय उदा लालु डाली राधी वाली पिता मेघा, रूपली बेवा मेघा के नाम दर्ज रिकोर्ड हुए। प्रार्थी के काका नानजी पिता नारायण के लाओलाद फौत होने से नानजी की बहन जेती, लाली पिता नारायण के नामान्तरण संख्या 420 हकत्याग से जेती, लाली पिता नारायण के बजाय प्रार्थी का नाम उदा पिता मेघा मुतबन्ना नानजी रावत दर्ज की स्वीकृति हुई। भू–प्रबंधंन के बाद उदा पिता मेघा एवं उदा पिता मेघा मुतबन्ना नानजी दोनो नाम एक ही होने से दोनो के हिस्से को शामिल करते हुए प्रार्थी का नाम उदा पिता मेघा रावत अंकित कर दिया जिसे शुद्ध किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। प्रकरण में माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा समस्त न्यायिक (राजस्व) अधिकारियों को भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा की गई त्रुटियों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार व माननीय राजस्व मण्डल के अपील/एल.आर./6933/2011/उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र कंमाक प.(12) राज.16/92/26 दिनांक 20.12.1995 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि सेंटलमेंट के दौरान हुई त्रुटियों को सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बोरतलाई पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 7, 8, 9, 10, 59 में प्रार्थी का नाम उदा पिता मेघा जाति रावत के बजाय उदयलाल पिता मेघा मुतबन्ना नानजी जाति रावत संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.07.05 12:52:17 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 23.06.2023 सुनाया गया।